मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
30 AUG 2019
आवक क्र. 2491

// आ दे श //

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त, 2019

क्रमांक एफ 27–03/2019/सत्रह/मेडि–1 :: डॉ. चारुल सिंह, निवासी– 27–28, अजंता टॉकीज रोड़, रतलाम द्वारा दिनांक 03.01.2015 को एक आवेदन–पत्र मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल को प्रेषित किया गया था । जिसमें उनके द्वारा यह लेख किया गया था कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.08.2014 को एक आवेदन अंतर्गत धारा 197 सी.आर.पी.सी. अभियोजन की स्वीकृति हेतु क्रमशः सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को प्रेषित कर, निवेदन किया गया था कि निम्नांकित अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की जावें :–

1. डॉ. संजय गोयल, तत्कालीन जिला कलेक्टर, रतलाम,
2. डॉ. पुष्पेन्द्र शर्मा (सेवानिवृत्त), तत्कालीन सी.एम.एच.ओ., रतलाम,
3. डॉ. आनंद चंदेल, सिविल सर्जन, रतलाम एवं
4. श्री सुनील झॉ, अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम ।

2/– डॉ. चारुल सिंह ने मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल को प्रेषित अपने उपरोक्त आवेदन–पत्र दिनांक 03.01.2015, जिसकी प्रतिलिपि क्रमशः सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को पृष्ठांकित की गई थी, निवेदन किया गया था कि उनके संलग्न आवेदन एवं पत्रों के आधार पर, उक्त तीनों विभागों को निर्देशित किया जाये कि, उन्हें पैरा–1 में उल्लेखित उक्त चारों आरोपीगणों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की जाये, अन्यथा उन्हें माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा । उपर्युक्त आवेदन–पत्र दिनांक 03.01.2015 का निराकरण नहीं होने के कारण डॉ. चारुल सिंह द्वारा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर में रिट पिटीशन क्रमांक 267/2015 दायर की गई । जिसमें मुख्य सचिव महोदय के अतिरिक्त क्रमशः प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, डॉ. संजय गोयल, तत्कालीन कलेक्टर, रतलाम एवं डॉ. पुष्पेन्द्र शर्मा (सेवानिवृत्त), तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रतलाम को प्रतिवादीगण बनाया गया । उक्त रिट याचिका के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2015 को पारित किये गये निर्णय में राज्य शासन को निम्नानुसार निर्देश दिये गये थे :–

" The petitioner has filed an application under section 197 of the Cr.P.C. before the respondents seeking permission to prosecute the respondent no. 6 under certain offences punishable under the I.P.C., prevention of corruption Act and P.N.D.T. Act, 1994. The said application was not decided, therefore, the petitioner had filed a representation dated 03.01.2015 (Annexure P/14) and the said representation is still pending.

.....2...

In view of the aforesaid, without expressing any opinion on the merits of the case, the writ petition is disposed of by directing the respondent No.1 to take an appropriate decision on the peririoner s pending representation within a period of one month from the date of receipt of certified copy of this order. It is made clear that while taking the said decision, the respondent No.1 will duly take into account all the applicable G.A.D. Circulars and the provisions of law. "

3/– उपर्युक्त न्यायालयीन निर्णय दिनांक 23.01.2015 के परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 30.01.2015 को मुंख्य सचिव, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग को संबंधितों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सूचना–पत्र प्रेषित किया गया । इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता डॉ. चारुल सिंह द्वारा उक्त न्यायालयीन निर्णय दिनांक 23.01.2015 के पालन हेतु दिनांक 23.02.2015 को प्रतिवादीगण क्रमशः मुंख्य सचिव, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, डॉ. संजय गोयल, तत्कालीन कलेक्टर, रतलाम एवं डॉ. पुष्पेन्द्र शर्मा (सेवानिवृत्त), तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रतलाम को संबंधितों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्मरण–पत्र प्रेषित किया गया । किन्तु समयावधि में इन अभ्यावेदनों का निराकरण नहीं होने के कारण डॉ. चारुल सिंह ने माननीय न्यायालय में अवमानना याचिका प्रकरण क्रं. 164/15 प्रस्तुत की गई, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है ।

4/-- उल्लेखनीय है कि उपरोक्त न्यायालयीन निर्णय दिनांक 23.01.2015 के परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन क्रमशः दिनांक 03.01.2015, 30.01.2015 एवं 23.02.2015 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति चाही गई है :–

1. डॉ. संजय गोयल, तत्कालीन जिला कलेक्टर, रतलाम,
2. डॉ. पुष्पेन्द्र शर्मा (सेवानिवृत्त), तत्कालीन सी.एम.एच.ओ., रतलाम,
3. डॉ. आनंद चंदेल, सिविल सर्जन, रतलाम एवं
4. श्री सुनील झॉ, अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम ।

उपरोक्त सरल क्रमांक–01 के अधिकारी का प्रशासकीय विभाग सामान्य प्रशासन विभाग एवं सरल क्रमांक–04 के अधिकारी का प्रशासकीय विभाग राजस्व विभाग है । शेष सरल क्रमांक–02 एवं 03 के अधिकारी इस विभाग से संबंधित है ।

5/– उक्त प्रकरण में मुख्य रुप से तथ्य इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी, जिला रतलाम द्वारा आदेश दिनांक 11.06.2014 के माध्यम से अधिनियम एवं नियम का उल्लंघन करने के कारण ज्ञान सोनोसेंटर को सील किया गया था तथा गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिबंध) अधिनियम एवं नियम की धारा 19(4) एवं नियम 6(2) के अंतर्गत न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाया था । प्रकरण में दिनांक 26.11.2018 में धारा 19(4), 29 (धारा 23 के साथ सहपठित), नियम 9 (धारा 23 के साथ सहपठित), नियम 17 (धारा 23 के साथ सहपठित), नियम 13 (धारा 23 के साथ सहपठित), एवं नियम 10(1A) (धारा 23 के साथ सहपठित) के उल्लंघन के आधार पर याचिकाकर्ता को दोषी पाया गया एवं 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं रुपये 2000/– के अर्थदंड की सजा दी गयी थी।

AN 28/8/19

6/— याचिकाकर्ता पर क्रिमिनल केस क्रं. 2270/2014 के अंतर्गत चार्जेज फ्रेम होने के उपरांत पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के अनुपालन में याचिकाकर्ता डॉ. चारूल सिंह का स्टेट मेडिकल काउसिंल का पंजीयन क्रमांक 11866 निलंबित किया गया था ।

7/— याचिकाकर्ता डॉ. चारूल सिंह द्वारा राज्य समुचित प्राधिकारी, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी. के समक्ष नियम—19 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की गयी थी । राज्य समुचित प्राधिकारी द्वारा आदेश (जिला राज्य समुचित अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश) को सुरक्षित रखते हुये, उक्त अपील निरस्त की गयी ।

8/— स्टेट मेडिकल काउंसिल द्वारा याचिकाकर्ता डॉ. चारूल सिंह के पंजीयन के निलम्बन के उपरांत उनके द्वारा संचालित 05 विभिन्न केन्द्रों क्रमशः पारूल क्लीनिक, समर्पण अस्पताल, चारूल क्लीनिक, हर्षिता पैथोलॉजी एवं ज्ञान सोनो सेन्टर का पंजीयन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रतलाम द्वारा उपचार्यग्रह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत निलम्बित किया गया था ।

9/— उपरोक्त उल्लेखित आधारों एवं तथ्यों के प्रकाश में आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाये द्वारा प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय एवं राज्य समुचित प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार अपील के निराकरण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संबंधित प्रतिवादीगणों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान नही किये जाने का अभिमत दिया गया है ।

10/— उक्त प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति की विभागीय असहमति के संबंध में विधि, विधायी एवं कार्य विभाग का अभिमत प्राप्त किया गया । जिस परिप्रेक्ष्य में विधि विभाग द्वारा विभाग को अवगत कराया गया है कि डॉ. पुष्पेन्द्र शर्मा घटना के समय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ थे । डॉ. आनंद चंदेल तत्समय सिविल सर्जन जिला रतलाम के पद पर पदस्थ थे । जिला दण्डाधिकारी डॉ. संजय गोयल के द्वारा " अधिनियम 1994 " के प्रावधानों के अंतर्गत निरीक्षण दल गठित कर ज्ञान सोनो सेंटर और समर्पण अस्पताल का निरीक्षण कराया और " अधिनियम 1994 " के प्रावधानों के अंतर्गत निरीक्षण दल द्वारा कार्यवाही की । डॉ. पुष्पेन्द्र शर्मा एवं डॉ. आनंद चंदेल के विरुद्ध व्यक्तिगत आक्षेप लगाये गये हैं जिनका कोई आधार नहीं है । डॉ. पुष्पेन्द्र शर्मा एवं डॉ. आनंद चंदेल द्वारा " अधिनियम 1994 " के अंतर्गत विधि अनुसार कार्यवाही की । यह इस तथ्य से प्रमाणित है कि न्यायालय द्वारा कार्यवाही विधि अनुसार प्रमाणित पाते हुए कि ज्ञान सोनो सेंटर से लिंग परीक्षण किया जा रहा है तथा शासकीय दवाओं और इन्जेक्शन का सोनो सेंटर और समर्पण अस्पताल में प्रयोग किया जा रहा था, प्रार्थी को दण्डित किया है । " अधिनियम 1994 " के अंतर्गत की गई कार्यवाही की अपील को समुचित प्राधिकारी द्वारा वैध ठहराया गया है । जहां लोकसेवक द्वारा अपने वैसे लोकसेवक के कर्तव्यों के निर्वहन में विधि अनुसार कार्य किया गया है और किया गया कार्य अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है या अवैधानिक कार्य नहीं किया है । उस दशा में धारा 197 द.प्र.सं. के प्रावधान लोकसेवक के उक्त कृत्य को भले ही अपराध की श्रेणी में आता हो, संरक्षित करता है । वस्तुतः इस मामले में डॉ. पुष्पेन्द्र शर्मा एवं डॉ. आनंद चंदेल का कोई आपराधिक कृत्य प्रथम दृष्टयॉ प्रमाणित नहीं है । उक्त के फलस्वरुप विधि विभाग द्वारा विभाग के अभियोजन अस्वीकृति के निर्णय से सहमति प्रदान की गई है ।

AN 28/8/19

11/— अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में उल्लेखित तथ्यों के समग्र विश्लेषण, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल द्वारा प्रेषित किये गये अभिमत तथा विधि, विधायी एवं कार्य विभाग द्वारा विभागीय प्रस्ताव के संबंध में प्रदत्त सहमति के परिप्रेक्ष्य में, राज्य शासन एतद्द्वारा याचिकाकर्ता

....4...

डॉ. चारुल सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन क्रमशः दिनांक 03.01.2015, 30.01.2015 एवं 23.02.2015 को पूर्ण विचारोपरांत अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

ह स्ता०/

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 27—03/2019/सत्रह/मेडि—1
भोपाल, दिनांक 28 अगस्त, 2019

प्रतिलिपि :—

1— विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल ।
2— निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल ।
3— आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल म.प्र.।
4— अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर उनकी टीप क्रमांक 13122/21—क(अभि.) दिनांक 03.08.2019 के संदर्भ में अग्रेषित ।
5— संचालक (लीगल), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल ।
6— क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, उज्जैन संभाग, उज्जैन ।
7— उप संचालक (विज्ञप्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
8— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं न्यायालयीन प्रकरण प्रभारी अधिकारी, जिला रतलाम ।
9— रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर ।
10— शासकीय अधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर ।
11— डॉ. चारुल सिंह, निवासी— 27—28, अजंता टॉकीज रोड़, रतलाम की ओर उनके अभ्यावेदन क्रमशः दिनांक 03.01.2015, 30.01.2015 एवं 23.02.2015 के संबंध में प्रेषित । की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
12— स्टॉक फाईल ।

AN 28/8/19

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग